संख्या-26/2612/53-14-2(20)/14

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

मैनपुरी, आगरा, जालौन (उरई), हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ: दिनांक- 20 दिसम्बर, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक-470/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0-सा0(151)/2014-15, दिनांक-12.12.2014 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि **संलग्नक-क** के अनुसार प्रबन्धकीय/यातायात/कार्यशील पूंजी मद में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(2) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आबंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ अपने संसाधन से उसका वहन करेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतद्द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के

http://shasanadesh.up.nic.in

नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परिक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-191-नगर निगमों को सहायता-03-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला-योजना)-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

संख्या-2612(1)/53-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
14- गार्ड फाइल।
15- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in